ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 86

सहयोग शुल्क : रु. 1 / फरवरी : 2024

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगजन अधिनियम २०१६ दिव्यांगों का जीवनमंत्र है ।

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगजन अधिनियम २०१६ दिव्यांगों के अधिकारों का पथदर्शक है

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

खुद के लिए खुद ही रास्ता बनाने वाले लोग ही समाज के लिए भी रास्ता बना सकते हैं । इरा सिंघल ने वह कर दिखाया जिसे पाने का सपना हर पढ़ा लिखा इनसान देखता है लेकिन इस सपने को पूरा करने में उनकी मेहनत और संघर्ष कभी भी साधारण नहीं रहा । चार प्रयासों के बाद भी आइ.ए.एस की कुर्सी तक पहुंचने का सफर सरल नहीं रहा, समाज और अफसरशाही की व्यवस्था के चलते उनकी काबिलियत को देखने के बदले उनकी मर्यदाओं की कल्पना कर के उन्हें कुर्सी तक पहुंचने से रोका गया था । किसी बीमारी से ग्रसित होने से वह किसी नौकरी को अच्छी तरह से नहीं कर पायेगी या उनकी मर्यादा उसमें बाधक बनेगी ऐसी सोच रखनेवाले लोग देश और दुनिया के विकास के बाधक है । लेकिन इरा सिंघल की लडाई ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है, हम इरा सिंघल की मेहनत और लडाई का सम्मान करते हुए उनके लिए शुभकामनाएं प्रदर्शित करते हैं ।

इरा सिंघल जैसे लोग तो अपनी उच्च शिक्षा के चलते अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत होते हैं और अधिकारों के लिए लडकर उन्हें प्राप्त भी करते हैं लेकिन देश में कई दिव्यांग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत न होने के कारण समाज में अन्याय का शिकार होते हैं । ऐसे लोगों के लिए ही सरकार द्वारा बनाया गया दिव्यांगजन अधिनियम २०१६ एक महत्वपूर्ण साधन है । यह केवल एक कानून नहीं है बल्कि अपने हक, सम्मान और अधिकारों की लडाई का अहम् शस्त्र है । इस से पहले भी हमने इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी थी लेकिन इस अंक में भी दिव्यांगजन अधिनियम२०१६ की विस्तृत जानकारी दी जा रही है । दो तीन अंक तक दिव्यांगजन अधिनियम २०१६ की विस्तृत जानकारी दी जाएगी । सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों की जानकारी लोगों तक सरलता से पहुंचना जरुरी है । सरकार इस दिशा में अच्छे कदम उठा रही है यह बड़ी खुशी की बात है ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

फरवरी : 2024, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 86

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी ।

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

खुद के लिए खुद ही रास्ता बनाती इरा सिंघल...सब के लिए है प्रेरणा स्रोत

IAS बनने का ख्वाब कई लोग देखते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं, जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाते हैं। उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में एक हैं इरा सिंघल, जिन्होनें न सिर्फ अपने सपनों को हककीत में बदला बल्कि बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया।

यहां तक पहुंच पाना इरा के लिए इतना आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक कठोर संघर्ष आए, लेकिन उन्होनें कभी हिम्मत नहीं हारी। यहां तक कि तीन बार IRS में सेलेक्शन होने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई फिर भी इरा के अपने सपनों को पूरी करने जिद ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी और निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के प्रयास में लगी रहीं।

इरा सिंघल आज हर किसी के लिए मिसाल है। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम2014 की टॉपर इरा सिंघल की कहानी से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद वोUPSC की जनरल कैटगरी में टॉप करने वाली देश की पहली प्रतिभागी हैं।

UPSC Civil Service की परीक्षा में इरा ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया और जनरल केटेगरी में उन्होनेंUPSC में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। इरा सिंघल, साल 2014 में आयोजित सिविल सर्विस की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली पहली विकलांग महिला है जिन्होंने विपरीत परिस्थियों में भी आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल की।

इरा ने उन लोगो के लिए मिसाल कायम की जो अपनी कमियों का अपनी कमजोरी मान लेते हैं और अपने हुनर को साबित नहीं कर पाते।

जीवन और शिक्षा

इरा सिंघल का जन्म मेरठ में हुआ था। उनके माता पिता का नाम राजेन्द्रसिंघल और अनितासिंघल है। वह मेरठ के सोफ़िया गर्ल्ज़ स्कूल और दिल्ली के लॉरेटो कॉन्वेन्ट स्कूल में प्रथम स्थान पर रही। इरा स्कोलियोसिस से जूज रही है जिसके कारण रीढ़ की हड्डी प्रभावित है और उससे बाज़ुओं की गति ठीक नहीं होती। इसके बावजूद इरा ने अपनी स्कूली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल, धौलाकुआँ, दिल्ली से सम्पन्न की। इसके पश्चात नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान से उसने कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और फ़ॅकल्टी ऑफ़ मैनेजमेन्ट स्टडीज़, दिल्ली विश्वविद्यालय से एम० बी० ए० किया।

सार्वजनिक जीवन

2010 में भारतीय राजस्व सेवा (आई आर एस) की परीक्षा में सफल होने के पश्चात भी अधिकारियों ने उसकी किसी वस्तु को "ढकेलने, खेंचने या उठाने की अयोग्यता" का हवाला देते हुए उसे पद देने से मना कर दिया था। इसके पीछे इरा की स्कोलियोसिस की समस्या थी। उसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा जिसके परिणाम स्वरूप चार

साल बाद इरा के पक्ष में निर्णय दिया गया था। इरा एक वर्ष तक स्पैनिश भाषा पढ़ाती रही हैं । उसे कैडबरी, डेयरीमिल्क कम्पनी में एक प्रबंधक पद का दायित्व भी दिया गया था । इसके अलावा इरा कोकाकोला कम्पनी में विपनन प्रशिक्षणार्थी के रूप में भी काम कर चुकी हैं । वर्तमान रूप से इरा भारतीय राजस्व सेवा के उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग में सहायक आयुक्त का पद संभाल रही हैं।

2014 में, उन्होंने सामान्य श्रेणी में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली शारीरिक रूप से विकलांग महिला बनकर इतिहास रच दिया । सिंघल ने कभी भी अपनी विकलांगता के आधार पर आरक्षण की मांग नहीं की । वह वर्तमान में दिल्ली सरकार में सहायक कलेक्टर (प्रशिक्षु) के पद पर हैं

इरा एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार कर्फ्यू लगते देखा । इसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि किसी बड़े पद पर बैठने की कितनी शक्तियां होती हैं। इसी के बाद इरा ने यू.पी.एस.सी करने की ठानी और सफलता भी हासिल की ।

IRS में चयन होने के बाद भी नहीं मिली थी नौकरी

यूं तो इरा इतनी प्रतिभाली थी कि इन्हें पहले ही कई प्राइवेट कंपनी में नौकरी पहले ही मिल चुकी थी । लेकिन शायद इरा का मकसद नौकरी कर सिर्फ पैसा कमाना नहीं था । दरअसल वे बचपन से कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे दूसरों की जिंदगी में फर्क पड़े ।

इसलिए उन्होनें आई.एस ऑफिसर बनने की ठानी । इसी मकसद से उन्होनें साल 2010 में सिविल सर्विस की परीक्षा भी दी, और तब उन्हें 815 वीं रैंक मिली थी, रैंक के हिसाब से उनका सिलेक्शन आई.आर.एस में हुआ, लेकिन उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई।

वहीं जब उन्होनें इसके बारे में जानने की कोशिश की तो पाया कि उनकी विकलांगता की वजह से उन्हें सर्विस नहीं दी गई । जरा आप सोचिए, जिसने यहां तक पहुंचने में कड़ी मेहनत की हो लेकिन उसे उसका हक ही छीन लिया जाए तो कितनी पीड़ा होती होगी ।

वहीं दर्दभरी पीड़ा से गुजरी हैं इरा सिंघल जो पहले से ही विकलांगता की वजह से कई मुसीबतों का सामना कर रही थी, लेकिन उनका दर्द तब और भी ज्यादा बढ़

गया जब सरकारी विभाग ने ही उनके साथ भेदभाव किया।

दरअसल शारीरिक रूप से उन्हें विकलांग बताकर डीओपीटी ने उनकी नियुक्ति में अड़ंगा लगा दिया था और ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि कई और भी लोग ऐसे थे जिन्हें भी ये सर्विस नहीं दी गई। जिसके बाद इरा सिंघल ने अपने हक के लिए और दूसरों को भी इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस दायर किया।

जिसके बाद साल 2014 में वह केस जीत गईं और फिर उन्हें हैदराबाद में पोस्टिंग मिली। इरा की हक की लड़ाई में उनके पिता राजेंद्र सिंघल ने नार्थ ब्लॉक से लेकर कैट में मुकदमा करने तक काफी संघर्ष किया। इसके बाद कैट के आदेश पर उन्हें आई.आर.एस की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।

वहीं इस लड़ाई के दौरान उन्होनें अपने समय को बर्बाद नहीं किया और अपनी रैंक सुधारने के लिए बार-बार सिविल सर्विस के लिए परीक्षाएं देती रहीं। उन्होनें इस दौरान तीन बार परीक्षाएं दी और तीनों बार उनका चयन आई.आर.एस में हुआ।

आखिरकार अपने चौथे प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम की जनरल कैटेगरी में टॉप किया। जिससे उन्होनें साबित कर दिखाया कि वो भले ही शारीरिक तौर पर कमजोर हो, लेकिन मानसिक रूप से वे सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।

इरा सिंघल की हिन्दी, इंग्लिश के अलावा स्पेनिशलैंग्वेज भी अच्छी कमांड है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इरा ने स्पेनिश टीचर के तौर पर एक साल नौकरी भी की है।

इरा सिंघल 2008 से 2010 तक कैडबरी इंडिया लिमिटेड में कस्टम डिवेलपमेंट मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुकी है। इसके अलावा कोकाकोला कंपनी में भी काम कर चुकी हैं। वर्तमान में इरा कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सर्विस में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रही हैं।

स्कोलियोसिस से पीड़ित हैं आई.ए.एस इरा

IAS इरा सिंघल स्कोलियोसिस से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित है। इसके साथ ही इरा के बाजू भी ढंग से काम नहीं करते हैं। लेकिन इरा जी की दिव्यांगता सफलता के कभी आड़े नहीं आयी।

इसके साथ ही इरा के माता-पिता राजेंद्र सिंघल

और अनीतासिंघल ने कभी भी उसकी कामयाबी को लेकर कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

दूसरों की सहायता करना है इरा का इरादा

इरा सिंघल बचपन से ही मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी ताकि वे दूसरों के काम आ सके लेकिन उनके पिता को लगता था कि वे खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है जिससे उन्हें मरीजों की सर्जरी करने में दिक्कत होगी । इसलिए वे डॉक्टर तो नहीं बन सकी लेकिन वे अपने सपने को पूरा करने के लिए आई.ए.एस बन गई। इरा सिंघल महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहती है और उनकी मदद करना चाहती है । इसके साथ ही वे हमेशा दूसरों की मद्द के लिए तैयार रहती हैं।

तमाम संघर्षों के बाद इरा सिंघल ने अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता के इस मुकाम को हासिल किया है और यह भी साबित किया है कि अगर कोई इंसान किसी चीज को करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज उसे सफल होने से नहीं रोक सकती है। इरा का मानना है कि आपसे बेहतर आपकी प्रतिभा को कोई और नहीं पहचान सकता इसलिए सफल होने के लिए खुद के लिए खुद ही रास्ता बनाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो और यही UPSC टॉपर इरा का सक्सेस मंत्र भी हैं।

सद्गुरु ॐऋषि દ્વારા આ ચેનલ ઉપર દરેક પ્રશ્નોના સમાધાન માટે અલગ - અલગ મંત્ર પ્રશ્નોનાં સમાધાન માટે આપેલ છે, માટે આ ચેનલ અચૂક જોવી, સબસ્કાઇબ કરી બેલ આઇકન (ઘંટડી) ઉપર ક્લીક કરવું.

મંત્રયુગપરિવર્તક ૐકાર મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮
પ.પૂ. સંતશ્રી સદ્ગુરુ ૐઋષિ સ્વામી

અમારા નવા વિડીયો મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો.

YouTube

સ્ટેપ- ૧ યૂ ટયૂબ ચેનલ પર ક્લીક કરો
સ્ટેપ- ૨ ટાઇપ કરો “SADGURU OMRUSHI”
સ્ટેપ- ૩ “SADGURU OMRUSHI” પર ક્લીક કરો
સ્ટેપ- ૪ SUBSCRIBE બટન ક્લીક કરો અને Bell (🔔) ની નિશાનીને દબાવો.

સદ્ગુરુ ૐઋષિ દ્વારા રચિત રોજનો પવિત્ર શબ્દ નીચે આપેલ ચેનલ ઉપર આપ નિહાળી શકો છો.

बडौदा निवासी रुक्मिणी देवी का दिल्ली में अटल फाउंडेशन द्वारा सम्मान

तारीख 25-12-2023 को दिल्ली के श्रीमान प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेई के जन्म दिवस पर निःस्वार्थ सेवा करने वाले श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को अटल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया । गुजरात के लिए सम्मान की बात है कि बडौदा निवासी श्रीमती रुक्मिणी देवी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया । सम्मान के रुप में उन्हें गोल्ड मेडल, मोमेंटो और साल और दुपट्टा देकर उनके कार्यों की प्रशंसा करके उनका सम्मान किया गया । दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रांगण में अनेक महानुभाव, मंत्रीगण देश-विदेश से उपस्थित अतिथियों की उपस्थिति में उनका सम्मान किया गया था । प्रति वर्ष निःस्वार्थ सम्मान करनेवाले कार्यकर्ताओं एवं समाजसेवकों की कार्यों का सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है । गायत्री विकलांग मानव मंडल और संस्था द्वारा किए जानेवाले कार्यों की जानकारी देकर उसकी प्रशंसा की गई ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल ने मनाया विश्व विकलांग दिन

दिनांक २० १२ २३ को गायत्री विकलांग मानव मंडल संस्थान के प्रांगण में विश्व विकलांग दिन का आयोजन किया गया । गुजरात के विभिन्न जिलों से दिव्यांग भाई-बहनें, विधवा, वृद्ध और निराधार लोग इस कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे । कार्यक्रम में उपस्थित इन सभी जरुरतमंदों को कंबल और साडियां वितरित की गई थी । चल सकने में असमर्थ दिव्यांगों को बाईसिकल वितरित की गई थी, तो विधवा और निराधार बहनों को अपना गुजरान चलाने के लिए सिलाई मशीन दिए गये थे ताकि उन्हें अपने परिवार का गुजरान चलाने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाने पडे और सम्मान के साथ अपनी जीवन यापन कर सके । कार्यक्रम की विशेष बात यह थी कि जो भी दिव्यांग दूसरों के हितों की रक्षा करें और उनके लिए काम करे उन्का श्रेष्ठ दिव्यांग रत्न सम्मान से सम्मान किया गया था । कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बात करते हुए संस्था की स्थापक श्रीमती रुक्मिणी देवी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों और संगठनों का हेतु दिव्यांगों को उनके अधिकारों और उनके लिए सरकार द्वारा जो भी लाभ और योजनाएं लागु की गई है उसकी जानकारी प्रदान करना भी होता है, इससे अनेक दिव्यांगों और जरुरतमंदों तक सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी सरलता से पहुंच पाती है । कार्यक्रमों में केवल जानकारी ही नहीं दी जाती बल्कि कई योजनाओं के आवेदनपत्र भरने में उनकी सहायता भी की जाती है और आवेदनों को सरकार के विभाग में पहुंचाया भी जाता है ।इस कार्यक्रम में श्री ललीतभाई जैन, रमेशभाई, इस्कोन मंदिर अहमदाबाद के पूज्य श्री नित्यानंद स्वामी, पूज्य श्री विजयभाई शाह, प्रकाशभाई शाह और अन्य महानुभाव उपस्थित थे । रुक्मिणी देवी ने सारे कार्यक्रमों की सफलता का श्रेय दिव्यांगों को दिया था ।

अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रंग में रंगे मनोदिव्यांग बच्चे

22 जनवरी 2024 के दिन न केवल भारत बल्कि समग्र संसार में एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी और वह थी प्रभु श्री राम के जयजयकार की । अयोध्या में रामजन्मभूमि पर निर्मित श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पूरे संसार में बसे रामभक्त उत्साह के साथ आनंद उठा रहे थे उसी वक्त अहमदाबाद स्थित नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ.हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल्ड के लाभार्थीओं ने फूलों से श्री राम का नाम लिखकर, राम के नाम से रंगोली कर के अपना उत्साह प्रकट किया था । अयोध्या में रामजन्मभूमि पर बने श्री राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समग्र कार्यक्रम का इन लोगों ने जीवंत प्रसारण देखकर स्वयं अयोध्या में उपस्थित होने का अनुभव किया था।

वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इन्डिया में नाम दर्ज कराते श्री निलेश पंचाल

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ.हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेन्टली डिसेबल्ड के संचालक के रुप में कार्यरत श्री निलेश पंचाल ने 5000 से भी अधिक ऑनलाईन वेबीनार अटेन्ड करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनकी इस उपलब्धि को वर्ल्ड रेकोर्ड बुक ऑफ इन्डिया में स्थान दिया गया है. श्री निलेश पंचाल की इस उपलब्धि के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भुपेन्द्रभाई पटेल ने उन्हें सर्टिफिकेट के साथ शुभकामनाएं दी हैं.

मनो दिव्यांग बच्चों के साथ मिला डिनर का सौभाग्य

केवल कहने के लिए ही नहीं किंतु सही मायनो में मेरा जीवन मेरे मनोदिव्यांग बच्चों के चेहरे की हंसी, मोज-मस्ती और खुशियों के लिए हैं. आज दाताओं के सहयोग से हमारे मनोदिव्यांग बच्चों के साथ सिंधुभवन रोड पर मोज मस्ती के साथ डीनर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

- चंदुभाई
(स्मित चाईल्ड एज्युकेशन)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

देश में पहली बार २००१ की जनगणा में दिव्यांगजनों की गणना की गई किन्तु यह जनगणना अनुमान से कम रही, क्योंकि कुछ ही लोगों की वास्तविक दिव्यांगता को इसमें लिया गया। फिर भी दिव्यांगजनों को एक पृथक श्रेणी माने जाने की यह शुरुआत थी, जिसको कि अपनी विशेष आवश्यकताओं के कारण अधिकारों की आवश्यकता है । मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७ के पारित किए जाने से और १९८६ में भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन से इस स्थिति में सुधार हुआ । वर्ष १९९५ में संसद ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम पारित किया जिसमें आरंभिक कारण पता लगाने, शिक्षा, नियोजन सकारात्मक कार्यवाही, विभेद न करने, बाधारहित पहुंच से संबंधित उपबंध किए गए। इससे दिव्यांगजन अधिकार आंदोलन को अत्याधिक बल मिला। अनेक वर्षों तक इसके बारे में बातचीत करने के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ पारित हुआ है, जिसके द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारो में भारी परिवर्तन लाया गया है । इस अधिनियम को दिव्यांगजन के अधिकारों के यू.एन, कन्वेंशन के अनुरुप भारतीय कानून बनाने के लिए अधिनियिमित किया गया है । इसके द्वारा गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता, (तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद चुन सकता है), विभेद रहित तथा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत को मूर्त रुप दिया गया है।

१. समानता और विभेदः

अधिनियम के द्वारा सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति को समानता का अधिकार है और उसके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार किया जाना है । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें दिव्यांगजनों की क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके। अधिनियम में दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को रोका गया है, सिवाय इसके कि जहां किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसा करना अनिवार्य रुप से अपेक्षित न हो इसके साथ डी प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे उसकी दिव्यांगता के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता।

सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के आधार पर उपांतरण और समायोजन करे जिससे कि उन्हें प्राप्त सभी

सुविधाओं तक उनकी पहूंच हो सके।

दिव्यांग महिलाएँ और बालक: महिलाओं की समाज में सबसे नाजुक स्थिति है और इस पर यदि वह दिव्यांग है तो उसका कष्ट और भी बढ़ जाता है और इससे उनके अधिक दुरुपयोग, दुर्व्यवहार और उका परित्याग किए जाने की संभावना रहती है। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के समान ही अधिकार दिए गए हैं।

इसी तरह दिव्यांग बालक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां वे स्वयं की आवश्यकताओं से अनभिज्ञ रहते हैं और इस कारण उनकी राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह अधिनियम उन्हें अपनी राय स्वयं से संबधित मामलों में खुलकर प्रकट करने का अधिकार देता है। इससे यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि उनके कल्याण को प्रभावित करनेवाली किसी कार्यवाही अथवा प्रयास में उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी भागीदारी होगी तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लिया जा सकेगा।

२. सामुदायिक जीवन:

एक दिव्यांगजन के लिए सुगम्यता, सहायक उपकरणों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य रक्षा और समान अवसरों के अभाव में स्वतंत्र रहना मुश्किल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरुप वे कुटुंम्ब पर वित्तीय रुप से अथवा अन्यथा एक भार बन जाते हैं ।इन कारणों से कुटुम्ब के लोग दिव्यांगजन का परित्याग कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरुप दिव्यांगजन संस्थाओं को अपना अंतिम आश्रय स्थल बना लेते हैं क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है । इसके अतिरिक्त अनुकूल पर्यावरण न मिलने पर भी कुटुम्ब के हस्तक्षेप के बिना भी दिव्यांगजन इन संस्थाओ में आ जाते हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन का यह अधिकार है कि वह समाज के बीच में रहे और उसे यह महसूस करने के लिए बाध्य न होना पडे कि वह किसी दूसरी तरह की व्यवस्था के अंदर रह रहा है । इसे संभव बनाने के लिए सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजनों के लिए समस्त, किसी भी गृह, आवासीय, सामुदायिक आधारित सेवाओं तक पहूंचना संभव हो। इसका तात्पर्य यह है कि चलन संबंधी दिव्यांगता वालों के लिए व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण , श्राव्य उपकरण, कृत्रिम अंग, व्यक्तिगत देखरेख सहायता उपलब्ध कराकर आवासीय अथवा सार्वजनिक स्थान तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सामुदायिक सहायता सेवाओं में स्वास्थ्य रक्षा, अस्पतालों-स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक, मानसिक रोगीयो के लिए परामर्शदाता और बालकों के लिए दैनिक जीवन से

संबंधित कार्यकलापों को सीखने के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराना है।

दिव्यांगजन का समाज से जुडे रहने का अधिकार है उसे अपना निवास स्थान चुनने, कब और कहां रहना है उसकी स्वतंत्रता है । सामुदायिक सहायक सेवा शब्दों से अभिप्राय उन सभी सेवाओं से है जिनसे समाज से एकाकीकरण अथवा पृथकता को रोका जा सकता है। ऐसी सभी सेवाएं और सुविधाएं जो सामान्यजन को उपलब्ध है वे दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हों और वे उनकी आवश्कताओं के अनुरुप हो । जैसे सभी बाजार, आमोद-प्रमोद के स्थान, सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए।

३. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षणः

अधिनियम में दिव्यांगजनों को प्रताडना, क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहूंचना अतवा जिसके कारण अवमानना होती हो, से संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है । ऐतिहासिक द्रष्टि से दिव्यांगजनों को ऐसे आघात योग्य वर्ग के रुप में देखा जाता है, जिसकी न तो स्वायत्तता की भावना होती है अथवा वह अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता नहीं रखता है । यही कारण है कि उन्हें उनकी जानकारी के बिना अनुसंधान का विषय बनाया जाता है। इस अधिनियम में इस प्रकार का व्यवहार निषेध किया गया है इसमें कहा गया है कि कोई भी दिव्यांगजन उसकी सहमति के जिसे पहुंच माध्यमों से प्राप्त करना होगा, के बिना इस प्रकार के व्यवहार का भाग नहीं बन सकता । इसके साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में यह कहा गया है कि कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो।

किसी भी दिव्यांगजन पर कुछ अनुसंधान करने से पूर्व विषय के रुप में तीन शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है –

- अनुसंधान में उसके शरीर पर कुछ भौतिक प्रभाव अंतर्विलित है।
- पहुंच माध्यमों के माध्यम से (जिसके द्वारा दिव्यांगजन अपनी बात कह सके) उसकी सहमति प्राप्त करना।
- दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना।

इस समिति का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। समिति में आधे अथवा आधे से ज्यादा सदस्य दिव्यांगजन अथवा दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होगे।

(अधिक जानकारी अगले अंक में)

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

संचालित (N.G.O.)

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीम संस्था

▲ World Autisum Day ▲Table Tennis Competition ▲ Painting Competition ▲Sports Day Celebration
▲Rakshabandhan Celebration ▲ 15th August Celebration ▲Janmashtami Celebration
▲ Anand Niketan School Visit ▲ Picnic ▲ Traffic Awareness Program Navratri Celebration

★★★ शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे ★★★

सुमेल ५, हाउस नं.: ४८/डी, बिजनेश पार्क, चामुंडा ब्रीज कोर्नर,
असारवा, अहमदाबाद-३८००१६ मो.: 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर